# अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
## पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र०–6/विविध–164/2010– 7008 (E) /पटना, दिनांक 11/12/17

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)।
पथ निर्माण विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)।
पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)।
पथ निर्माण विभाग

विषय :– **अन्य विभागों के संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

| क्र० सं० | संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या | विभाग का नाम | ज्ञापांक एवं दिनांक | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अवंतिका कॉन्ट्रैक्ट्स (I) लि०, एम०डी०के०, नरेन्द्र रेड्डी,, पता–401 A Wing अस्ट्रल हाईटस, रोड नं०–01, बनजारा हिल्स, तेलंगाना (निबंधन सं०–31/2016 प्रथम श्रेणी) एवं जी०एच० रेड्डी एण्ड एशोसियेट्स (GHRA) प्रा०लि०, हैदराबाद (नि०सं०–46/2016 प्रथम श्रेणी) | जल संसाधन विभाग | ज्ञापांक–3806 दि०–24.10.2017 (छायाप्रति संलग्न) | संवेदक के निबंधन को 10 वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया। |
| 2. | M/S Anand Consultant, House No-157/C Patliputra Colony, Patna-13 नि०सं०–IDA/06/-Class-1/2013 | आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना | ज्ञापांक–1608/Tech दि०–04.09.2017 (छायाप्रति संलग्न) | संवेदक के निबंधन को कालीसूची में डाला गया। |
| 3. | सत्येन्द्र कुमार कन्सट्रक्शन प्रा०लि०, 202, हीरा इन्क्लेव, न्यू डाकबंगला रोड, जी0पी0ओ0, पटना–800001 (नि०सं०–34/2009 प्रथम श्रेणी) | जल संसाधन विभाग | ज्ञापांक–4020 दि०–13.11.2017 (छायाप्रति संलग्न) | CWJC No-3473/2016 में दि० 13.07.16 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में कालीकरण आदेश ज्ञापांक–568 दि० 28.01.16 को निरस्त किया गया। |

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

8/12/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\SUJEET KUMAR\DEBAR MUKAT LETTER OTHER\DEBAR MUKAT LETTER.DOCX 8/12/17

P.T.O

ज्ञापांक–प्र०–6 / विविध–164 / 2010– 7008 (E)w— / पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :–मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को अनुलग्नक एवं CD सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:–यथोक्त।

8/12/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

8/12/17

पत्र संख्या–11/मु0–06–06/2017.....

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

## आदेश

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, बौंसी, बाँका के अन्तर्गत हिरम्बी नदी पर बियर बाँध निर्माण कार्य की निविदा में फर्जी/जाली दस्तावेज समर्पित करने के आरोप में संवेदक सत्येन्द्र कुमार कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, 202 हीरा इन्कलेव, न्यू डाकबंगला रोड, जी0पी0ओ0, पटना के निबंधन सं०–34/2009 (प्रथम श्रेणी) का विभागीय आदेश ज्ञापांक–568, दिनांक 28.01.16 द्वारा 10 वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया था।

इसके विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर CWJC No. 3473/2016 में दिनांक 13.07.16 को पारित न्याय–निर्णय में उक्त कालीकरण आदेश को Set Aside कर दिया गया है। विभाग द्वारा उक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध LPA No. 1014/2017 दायर किया गया है।

तार्किक आदेश ज्ञापांक–2375, दिनांक 28.08.09 में संवेदक को इस शर्त के साथ निबंधन संख्या–34/2009 आवंटित किया गया था कि उनके विरूद्ध चल रही कार्रवाई के फलाफल से इनका निबंधन प्रभावित होगा। CWJC No. 3473/2016 में पारित न्याय निर्णय से यह परिलक्षित होता है कि इनको माननीय न्यायालय द्वारा निर्दोष करार दिया गया है। इस बदले हुए परिस्थिति में मामले की पुनः समीक्षा की गई।

सम्यक समीक्षोपरांत माननीय न्यायालय द्वारा CWJC No. 3473/2016 में दिनांक 13.07.16 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में कालीकरण आदेश ज्ञापांक–568, दिनांक 28.01.16 को निरस्त किया जाता है।

यह आदेश LPA No. 1014/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय से आच्छादित होगा।

ह0/–
(अरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : .....पटना/दिनांक :.....

स्पीड पोस्ट/निबंधित

प्रतिलिपि :– श्री सत्येन्द्र कुमार, निदेशक–सत्येन्द्र कुमार कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0,202, हीरा इन्कलेव, न्यू डाकबंगला रोड, जी0पी0ओ0, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक :4020/पटना, दिनांक :13.11.2017

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल –2,3,4, पटना/संयुक्त सचिव (निगरानी), जल संसाधन विभाग/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग एवं आई0टी0मैनेजर को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/11/17
(अरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख, (मुख्यालय)

# आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email-md@idabihar.com www.idabihar.com Phone: 0612-2675933/2675935, Fax: 0612-2675934

## कार्यालय–आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 20 पटना, दिनांक 04.09.17

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा निर्गत NIT संख्या– 12/Ten/IDA/14 के आलोक में औद्योगिक क्षेत्र एवं EPIP हाजीपुर में Storm Water Drainage के निर्माण कार्य हेतु M/s Anand Consultant, House No 157/C Patliputra Colony, Patna-13 को कार्य आवंटित किया गया था। जिसके लिए दिनांक 31.07.2015 को एकरारनामा संख्या– 103/SBD/2015-16 हस्ताक्षरित किया गया था। इस परियोजना की एकरारित राशि रूपये 17,72,40,657.00 है एवं एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक **31.01.2017** निर्धारित है।

वर्तमान में उक्त अवधि बीत जाने के पश्चात् कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 25% है। पूर्व में कार्य की प्रगति को बढ़ाने एवं निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने हेतु प्राधिकार के पत्रांक 1867/Tech दिनांक 14.09.2015, पत्रांक 2181/Tech दिनांक 05.11.2015, पत्रांक 211/Tech दिनांक 28.01.2016, पत्रांक 338/Tech दिनांक 22.02.2016, पत्रांक 1080/BOT दिनांक 13.05.2016, पत्रांक 1219/BOT दिनांक 31.05.2016, पत्रांक 1513/BOT दिनांक 14.07.2016, पत्रांक 1802/Tech दिनांक 23.08.2016, पत्रांक 1922/Tech दिनांक 07.09.2016, पत्रांक 2035/Tech दिनांक 26.09.2016, पत्रांक 2370/Tech दिनांक 24.11.2016 पत्रांक 392/Tech दिनांक 03.03.2017, पत्रांक 473/Tech दिनांक 16.03.2017, पत्रांक 676/Tech दिनांक 21.04.2017, द्वारा संवेदक को निदेशित किया गया था, किंतु संवेदक द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लायी गयी, जिसके कारण परियोजना अबतक बाधित है। तदानुसार परियोजना की लागत में बढ़ोतरी की संभावना उत्पन्न हो गयी है। संवेदक का कार्य के प्रति घोर लापरवाही, अक्षमता, शिथिलता, एवं अकर्मण्यता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उक्त परियोजना के पर्यवेक्षण के दौरान प्रशासी विभाग के पदाधिकारियों द्वारा कई–बार अप्रसन्नता भी जाहिर की गई है।

उपरोक्त के संबंध में संवेदक को प्राधिकार के पत्रांक 1391/Tech दिनांक 26.07.2017 द्वारा M/s Anand Consultant को स्पष्टीकरण निर्गत किया गया था जिसके आलोक में संवेदक का जबाब स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एकरारनामा संख्या– 103/SBD/2015-16 को रद्द करते हुए M/s Anand Consultant, House No 157/C Patliputra Colony, Patna-13 के निबंधन संख्या–IDA/06/-Class-1/2013 को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11 (क) (ii) के आलोक में कालीकृत किया जाता है एवं संवेदक M/s Anand Consultant के सुरक्षित जमा राशि एवं EMD को जब्त किया जाता है।

(प्रबंध निदेशक के आदेश से)
(File No-08/02/Tech/IDA/15 Dt. 28.08.17)

ह0/–
निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक.............. दिनांक.....................

प्रतिलिपिः M/s Anand Consultant, House No 157/C Patliputra Colony, Patna-13 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांक 1608/Tech दिनांक 04-09-17

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/बिहार राज्य पथ विकास निगम लि0/बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि0/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि0/बिहार राज्य आवास बोर्ड/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0/बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

पत्र संख्या – 11 / विविध – 06 –13 / 2017.....

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

आदेश

बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज – II एवं फेज – iv (a) के तहत कार्यान्वित कार्यो में अभिरुचि नहीं लेने के लिए संवेदक एच0एस0सी0एल0 के कार्यकारी एजेन्सी अवंतिका जी0एच0आर0ए0 (जे0भी0), हैदराबाद से विभागीय पत्रांक – 2932 दिनांक 01.08.2017 द्वारा कारण – पृच्छा किया गया। दिनांक 23.08.2017 को उक्त कार्यकारी एजेंसी द्वारा कारण – पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया।

दिनांक 23.08.2017 को संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए :–

1. कार्य से संबद्ध संवेदक कंपनी एच0एस0सी0एल0 की कार्यकारी एजेंसी अवंतिका – जी0एच0आर0ए0(जे0भी0) द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने, समुचित संसाधन नहीं लगाने एवं बार–बार विभिन्न स्तरों से निदेशित किये जाने के बावजूद भी उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तथा कार्यों के ससमय कार्यान्वयन में बरती गई लापरवाही के कारण उक्त योजनाओं का कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं किया जा सका।

साथ ही बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–iv (a) के तहत प्रस्तावित बेलवा हेड स्लूईस का रूपांकण अत्यधिक विलंब से उपलब्ध कराया गया एवं निर्माण सामग्रियों मुख्य रूप से सीट पाईल के भंडारण की व्यवस्था में भी अत्यधिक विलंब किया गया, जिसके कारण राफ्ट फाउंडेशन की ढलाई का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। उक्त कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी द्वारा अभियंताओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई। कार्यकारी एजेंसी द्वारा समर्पित वर्क प्रोग्राम में किये गये कमिटमेंट के अनुसार कार्य की प्रगति सुनिश्चित नहीं की गई, तथा सीट पाईल कार्यस्थल पर नहीं लिये जाने के कारण बाढ़ अवधि 15 जून 2017 तक राफ्ट फाउंडेशन में 2237.76 घनमीटर पी0सी0सी0 के विरूद्ध लगभग 1000 घनमीटर तथा 19351.39 घनमीटर आर0सी0सी0 कार्य के विरूद्ध मात्र 1580 घनमीटर तक ही कार्य पूर्ण किया जा सका। राफ्ट फाउंडेशन की खुदाई से निकली मिट्टी के कॉफर डैम के प्रोटेक्शन कार्य में भी लापरवाही बरते जाने के कारण बाढ़ अवधि के मद्देनजर एप्रॉन की चौड़ाई 7.00 मीटर के बदले 4.00मीटर करनी पड़ी।

2. बागमती बाढ़ प्रबंधन फेज–II के तहत बागमती तटबंध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के अतंर्गत बायें तटबंध के कि0मी0 53.16 से कि0मी0 81.10 तक एवं दायें तटबंध के 56.97 कि0मी0 से 85.00 का पूर्ण कार्य सोलिंग सहित किया जाना तथा बागमती के नये तटबंध के निर्माण के तहत बायें तटबंध के 81.10 कि0मी0 से 89.08 कि0मी0 तक एवं दाये तटबंध के 85.00 कि0मी0 से 91.86 कि0मी0 के बीच नये तटबंध का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। उक्त कार्य को 31 मार्च 2017 तक पूर्ण करने हेतु कार्यकारी एजेन्सी अवन्तिका–जी0एच0आर0(जे0भी0) के द्वारा कमीटमेन्ट भी किया गया था परन्तु कमीटमेन्ट के अनुसार उनके द्वारा कार्य की प्रगति सुनिश्चित नहीं की गई एवं कार्य पूर्ण नही किया जा सका। विभागीय स्तर से भी कार्य की दैनिक मोनिटरिंग किये जाने के बावजूद भी कार्यकारी एजेन्सी अवन्तिका–जी0एच0आर0ए0(जे0भी0) कार्य के प्रति लापारवाह बने रहे एवं उनके द्वारा समुचित संसाधनों का उपयोग नही किया गया तथा अप्रील–मई 2017 के अवधि में कार्य लगभग बंद कर दिया गया और मात्र दिखावे के लिए 5–6 ट्रैक्टर ही कार्य में लगाया गया।

3. उक्त योजना के अधीन बागमती बायें तटबंध के कि0मी0 53.16 से कि0मी0 81.10 तक निर्मित अधूरे सेक्शन को पूर्ण करने के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध मात्र कि0मी0 58.00 तक ही सेक्शन पूर्ण किया गया है, जबकि कि0मी0 81.10 से कि0मी0 89.08 के बीच नये तटबंध निर्माण के विरूद्ध मात्र 1.00 कि0मी0 की लंबाई में कार्य कराया गया एवं 300 मीटर में ही कार्य पूर्ण किया जा सका।

इसी प्रकार बागमती दायें तटबंध के कि0मी0 56.97 से कि0मी0 85.00 तक निर्मित अधूरे सेक्शन को पूर्ण करने के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध मात्र कि0मी0 64.00 तक ही सेक्शन पूर्ण किया गया है, जबकि कि0मी0 85.00 से कि0मी0 91.68 के बीच नये तटबंध निर्माण के विरूद्ध कोई भी कार्य पूर्ण किया जा सका। साथ ही बागमती बायें तटबंध में कि0मी0 53.16कि0मी0 से 58.00 तक तथा दायें तटबंध में कि0मी0 56.97 से कि0मी0 62.30 तक ही ब्रीक सोलिंग का कार्य कराया गया है।

4. निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कार्य की प्रगति हेतु समुचित संसाधन यथा ट्रैक्टर, पोकलेन आदि मशीनरी के साथ–साथ अभियंताओं को भी स्थल पर नहीं लगाया गया, जबकि विभाग एवं क्षेत्रीय स्तर पर इस हेतु बार–बार निदेशित किया जाता रहा।

बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना, फेज–II का पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु बार–बार निदेशित किये जाने के बाद भी पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण विगत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 73.93करोड़ प्रत्यर्पित करना पड़ा। संरचना कार्यों में भी लापरवाही बरती गई है। बागमती नदी के दायें तटबंध के कि0मी0 76.43 (खंगुराडीह ग्राम) तथा धनौर कटरा रिंग बाँध के कि0मी0 2.25 पर रूपांकण स्वीकृत होने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तथा ग्रामीणों द्वारा बाधा उत्पन्न करने का बहाना बनाया जाता रहा। बागमती बायें तटबंध के कि0मी0 76.40 (मोहनपुर ग्राम) तथा धनौर कटरा रिंग बाँध के कि0मी0 4.70 पर निर्मित स्लूईस में गेट भी नहीं लगाये गये है एवं सी0सी0 ब्लॉक तथा एप्रॉन का कार्य भी अवशेष है। इस प्रकार संरचना के कार्यान्वयन में भी लापरवाही बरतने इसे पूर्ण करने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाया जाना भी परिलक्षित होता है।

5. एच0एस0सी0एल0 को प्रेषित विभागीय पत्रांक–1468 दिनांक 29.03.2017 से भी यह स्पष्ट होता है कि बागमती बाढ़ प्रबंधन, फेज– II के तहत कार्यान्वित कार्यों हेतु दिनांक 31.03.2017 तक निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 10–15 प्रतिशत हीं पूर्ण किया गया है। उक्त कार्यों हेतु 50.00 करोड़ रूपये की संभावित वित्तीय प्रगति के विरूद्ध 6–7 करोड़ की वित्तीय प्रगति ही प्राप्त की जा सकी है, जबकि दिनांक 16.01.2017 को समीक्षात्मक बैठक में एच0एस0सी0एल0 एवं कार्यकारी एजेंसी अवंतिका जी0एच0आर0ए0 (जे0भी0) के प्रतिनिधियों द्वारा 31.03.2017 तक निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु कमिटमेंट किया गया था।

साथ ही बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना, फेज– IV(a) के तहत 31.03.2017 तक कुल रू0 23.00 करोड़ का व्यय सुनिश्चित करने हेतु उक्त बैठक में कमिटमेंट किया गया, परन्तु वास्तविक रूप से लगभग 5.00 करोड़ का ही कार्य कराया जा सका। उक्त से यह स्पष्ट है कि इस योजना के अन्तर्गत 31.03.2017 तक निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध वास्तविक वित्तीय प्रगति मात्र 20–22 प्रतिशत ही रही।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि किये गये कमिटमेंट के विरूद्ध एस0सी0एल0के कार्यकारी एजेंसी अवंतिका – जी0एच0आर0ए0(जे0भी0) द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध वांछित प्रगति प्राप्त करने हेतु कोई तत्परता नहीं दिखाई गयी। साथ ही उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समुचित मशीनरी एवं मानव संसाधन की तैनाती भी कार्यस्थल पर नहीं की गयी अतएव, कार्य में अभिरूचि नहीं लिये जाने, कार्यों के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने, विभागीय निदेशों की अवहेलना करने तथा बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी अपने कार्यकलाप में सुधार नहीं लाने के लिए एच0एस0सी0एल0 के कार्यकारी एजेंसी अवंतिका जी0एच0आर0ए0(जे0भी0) पूर्णतः दोषी है तथा इनका यह कृत्य बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क)(ii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में आता है।